


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैंड	ग्रेड पे/मैट्रिक्स लेवल
1	महिपाल सिंह, प्रधानाचार्य, हमीरवास, राजगढ़-चूरु	08-07-61	21-02-98 Lect.	20-02-2018 20 Y	21-02-2018 II	----	PML 17
2	जगदीश चन्द्र, प्रधानाचार्य, गालड़, राजगढ़-चूरु	05-01-68	05-08-95 Lect.	04-08-18 20Y	05-08-18 II	----	PML 17
3	भोपाल सिंह, प्रधानाचार्य, सहनाली छोटी, जिला चूरु	09-07-65	01-11-89 Sr.T.	01-11-19 30Y	02-11-19 III	----	PML 17
4	सीमा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, मांडल, जिला भीलवाड़ा	17-06-60	21-02-97 H.M.	20-02-17 20Y	21-02-17 III	15600-39100	6800/ PML 17

विशेष नोट:- उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं क्रम संख्या 02 श्री जगदीश चन्द्र प्रधानाचार्य को तीन संतान होने के कारण तीन वर्ष पश्चात् द्वितीय एसीपी स्वीकृत की गयी है।



(हिमांशु गुप्ता)

आइएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2017-19-20

दिनांक 10/02/2020

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर